

लैंड फॉर जॉब्स मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार को दी बड़ी राहत लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी को जमानत

- ◆ 50 हजार के मुचलके पर कोर्ट ने सभी को दी नियमित जमानत
- ◆ अब 16 अक्टूबर को इस मामले में होगी सुनवाई
- ◆ सीबीआई ने जमानत का किया विरोध

केटी न्यूज/पटना

लैंड फॉर जॉब्स मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट से मामले में लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी को जमानत मिल गई है। 50 हजार के मुचलके पर सभी को नियमित जमानत दी गई है। अब 16 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी। इस दिन से मामले में सुनवाई शुरू की जाएगी। सीबीआई ने जमानत का विरोध कर हुए कहा था कि सभी आरोपी बड़े पद पर हैं। ये केस को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। लालू, राबड़ी और तेजस्वी के साथ मीसा भारती भी कोर्ट पहुंची थीं। इधर, दिल्ली पहुंचने पर लालू यादव ने कहा था कि सुनवाई होती रहती है। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे हमें डरना पड़े।



तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि मोदी जी के राज में जो सच बोलेंगे उसके ऊपर तो कार्रवाई होती ही है। ये एजेंसियों और पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। दरअसल, 22 सितंबर को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था। सभी को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा था। खबरों में मताबिक लैंड फॉर जॉब्स केस में कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर चार्जशीट भी

कोर्ट ने मंजूर कर ली है। उनके खिलाफ भी केस चलेगा। सीबीआई ने पहली बार बिहार के डिप्टी उट तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया है। ये सब चलता रहेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है- तेजस्वी यादव: तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है। ये सब बिहार की राजनीति में चलता रहेगा। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सब मामलों में कोई दम नहीं है। सुशील मोदी ने कहा है कि लैंड फॉर जॉब्स केस में कोई बच नहीं जाएगा। ललन सिंह ने पुख्ता सबूत दिए हैं।

3 रेल अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की मिली मंजूरी

इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि तीन रेल अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय से मिल गई है। रेल अधिकारी मनदीप कपूर, मनोज पांडे, डॉ. पीएल बंकर के खिलाफ केस चलाने की परमिशन मिली है। वहीं, 12 सितंबर को ही लालू प्रसाद यादव पर केस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय ने दे दी थी। लैंड फॉर जॉब्स मामले में ये पूरी तरह से नया केस है। पुराने केस में पहले ही राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटी और सांसद मीसा भारती जमानत पर हैं। नए केस में भी तेजस्वी के साथ लालू और राबड़ी को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

यों जरूरी है इसमें गृह मंत्रालय की मंजूरी: सीबीआई के मुताबिक, उनकी तरफ से लालू यादव के अलावा रेलवे के 3 अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलाने की अनुमति मांगी थी, जो मिल गई है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू यादव रेल मंत्री थे। इसलिए गृह मंत्रालय से अनुमति लेना जरूरी था।

जातीय गणना के आंकड़े सही नहीं, छुपाई गई है कई जातियों की संख्या: सम्राट चौधरी

केटी न्यूज/पटना

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ये सर्वे ठीक नहीं हुआ है। जातीय गणना में कई जातियों की संख्या भी छुपाई गई है। बीजेपी जातीय आधारित गणना का समर्थन करती है, लेकिन जो सवाल है वह उठाएगी। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश-लालू में दम है तो अपनी गद्दी छोड़कर किसी अति पिछड़े को बिहार की गद्दी सौंप दें, लेकिन यह वे नहीं करेंगे।

सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए की सरकार ने पंचायती राज में अति पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था की। नीतीश कुमार बिहार में जातीय समीकरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जातीय गणना रिपोर्ट जारी किया गया, लेकिन आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट का क्या हुआ? 2023 में इतनी अशुद्ध रिपोर्ट क्यों जारी की



गई? आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र ने रोहिणी आयोग का गठन किया है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर फैसला होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बीजेपी नेता हरि साहनी की जाति जानना चाहते हैं। इनके परिवार में कितने सदस्य हैं। बेटे ने किस जाति वर्ग से शादी की। वहीं, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव किस जाति से आते हैं, उनकी पत्नी किस जाति से हैं। ये सब को पता है। लेकिन ये किस मैकेनिज्म से पता चलेगा। यह पूरा बिहार जानना चाहता है।

उपेंद्र कुशवाहा ने टगने का काम किया है: जदयू

जातीय गणना के आंकड़े पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने रातोरात प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हंसी आती है मुझे। हमारे यहां आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो दूर प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बन पाए। उनको संसदीय गुट का अध्यक्ष हमारे नेता ने बनाने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि आंकड़ों के मुताबिक जदयू को अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल लेना चाहिए, इस पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि उनको राज्यसभा भेजने का काम किया। विरोधी दल का नेता बनाया और विधान परिषद के सदस्य बनाए गए। इतना सम्मान देने के बाद भी ये लोग इतने महत्वाकांक्षी हैं कि उनके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। बहुत तकलीफ होती है। उन्होंने समाज को सिर्फ टगने का काम किया है। समाज को किस ओर ले गए हैं, वह सब लोग देख रहे हैं।

सीएम ने दरगाह हजरत शाह की मजार पर की चादरपोशी

केटी न्यूज/पटना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को नेहरू पथ स्थित दरगाह हजरत शाह जलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर हजिरी दी। उन्होंने बड़े अदब ओ एहताराम के साथ दरगाह हजरत शाह जलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर चादरपोशी की तथा अकीदत के फूल पेश किये। इस अवसर पर इमाम मौलाना अजमतुल्लाह रहमानी ने मुख्यमंत्री को राज्य की सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए दुआ करायी। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों के बीच आपसी मेल-जोल भाईचारा और

सद्भाव के रिश्तों को मजबूत किये जाने की भी दुआ की। दरगाह हजरत शाह जलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के प्रबंधन समिति की तरफ से मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र एवं पुष्प गुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो० जमा खान, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मो० इशार्तुल्लाह, बिहार राज्य शिवा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मो० अफजल अब्बास, मजार शरीफ प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मेजर इकबाल हैदर खान मौजूद थे।



हाथ में पिस्तौल लेकर हॉस्पिटल में घूमते रहे विधायक गोपाल मंडल

गोपालपुर। अपने बयानों से लगातार चर्चा में रहने वाले जदयू के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वह हाथ में अपनी लाइसेंस रिवाल्वर लेकर हॉस्पिटल में दिख तो देखने वाले भी दंग रह गए। मीडिया ने जब सवाल पूछा कि आप खुलेआम रिवाल्वर लेकर क्यों घूम रहे हैं तो उन्होंने अंगिका भाषा में कहा, हाथ में लैंग के नय चलवै त भीतरी म लैंग के चलवै। दरसअल, जदयू के गोपालपुर सीट से विधायक और पार्टी के सचेतक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल मंगलवार की शाम जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में अपनी पत्नी अर्बन का सिटी स्कैन कराने पहुंचे थे।

हाईकोर्ट ने सुबह 9 से शाम 4 बजे तक कोचिंग चलाने की रोक को किया खारिज

केटी न्यूज/पटना

पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के आदेश पर रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने राज्य के कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसते हुए बड़ा आदेश जारी किया था। स्कूलों में उपस्थित प्रभावित ना हो इसके लिए आईएस के के पाठक ने आदेश जारी किया था। अपने आदेश में कहा था कि स्कूलों के संचालन के समय कोचिंग संस्थान संचालित किए जाने के कारण स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है। एसोसिएशन समेत और अन्य लोगों की ओर से पटना हाईकोर्ट में 16 सितंबर को याचिका दायर की गई थी।



GYAN JYOTI PUBLIC SCHOOL

Affiliated to CBSE NEW Delhi (10+2)

Rupsager, Main Road, Nawangar Buxar (Bihar)

Contact No - 6200727438, 7004289776, 7654245005 | Email - gips2011@Yahoo.in, gyanjyotipublicschool.in



विद्यालय में छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधा

- असम, बंगाल व दार्जिलिंग के कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक
- स्मार्ट क्लासेज आडियो एवं वीडियो से कक्षाओं का संचालन
- अत्याधुनिक विज्ञान व कंप्यूटर की प्रयोगशालाएं
- सुव्यवस्थित पुस्तकालय
- खेलकूद, योग, नैतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा का कुशल ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण
- बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक क्लास सीसीटीवी कैमरे से लैस
- बच्चों के लिए हैप्पीनेस क्लासेज
- कराटे व स्काउट एंडगाइड का कुशल ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण



